भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1897

मंगलवार, दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज संयंत्र</u>

1897. श्री नीरज डांगीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज संयंत्रों की स्थापना के पहले चरण की शुरुआत करने जा रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज संयंत्रों के माध्यम से कितनी मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए, सरकार इस संयंत्र के माध्यम से कितनी मेगावाट क्षमता की लिथियम बैटरी का उत्पादन करने का लक्ष्य रखती है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक, देश-भर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) की आवश्यकता 41.65 गीगावाट/208.25 गीगावाट घंटा होगी।

सरकार ने 13.2 गीगावाट घंटा बीईएसएस के विकास के लिए 3,760 करोड़ रु. की बजटीय सहायता से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को अनुमोदन दिया गया है। 13.2 गीगावाट घंटा में से, 11.7 गीगावाट घंटा के लिए निविदाएँ जारी की जा चुकी हैं और 10.7 गीगावाट घंटा के लिए आवंटन पत्र (एलओ) जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने 30 गीगावाट घंटा बीईएसएस के लिए वीजीएफ योजना को भी अनुमोदन दिया है।

(ग) सरकार ने देश में 50 गीगावाट घंटा एसीसी विनिर्माण सुविधाओं के लिए 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम को अनुमोदन दिया है। 50 GWh में से 10 GWh को ग्रिड स्तर स्थिर भंडारण अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित किया गया है। शेष 40 GWh क्षमता आवंटित की गई है, जिसका व्यापक रूप से अंतिम उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और स्थिर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित किसी भी अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है।

*****